मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 11191 /एनआर/6/सा.अं./2012/ भोपाल, दिनांक 30/11/2012

प्रति,

1. **संभाग आयुक्त**
   संभाग– समस्त
2. **कलेक्टर,**
   जिला – (समस्त),
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत – (समस्त),
4. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत समस्त
   मध्यप्रदेश।

विषय :– **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजना अंतर्गत कार्यों का भौतिक सत्यापन (सामाजिक अंकेक्षण) कराए जाने बावत्।**

संदर्भ :– **शासन का पत्र क्र 10489 दिनांक 12.11.2012।**

—: 00 :—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना के कार्य एतद् मनरेगा (योजना प्रारंभ से), टी.एस.सी, बी.आर.जी.एफ (आंगनवाडी एवं अपना घर),आई.ए.पी के 10 जिले, आई. डब्ल्यू.एम.पी, (ई.पी एवं स्टॉप डेम), आई.ए.वाय, मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास, मध्यान्ह भोजन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन एवं सामाजिक न्याय पेंशन योजना का भौतिक सत्यापन केन्द्र एवं राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था या शासकीस कार्यों हेतु सूचिबद्ध संस्थाओं के **भौतिक सत्यापन कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 03 से 20 दिसम्बर, 2012 के मध्य सम्पन्न किया जाना है।**

भौतिक सत्यापन हेतु वर्ष का निर्धारण –मनरेगा –योजना प्रारंभ से तथा उपरिवर्णित अन्य योजनाओं का वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जावेगा।

नोडल अधिकारी –समग्र कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत** नोडल अधिकारी होंगे। दिनांक 2.12.12 भोपाल कार्यशाला में पूर्व निर्मित जानकारी के साथ उपस्थित होवें।

प्रपत्र एवं पुस्तिकाएं–उक्त कार्य हेतु ग्रामवार दो पृथक पुस्तिकाएं परिशिष्ट अनुरूप **सामुदायिक कार्यों** के लिए प्रपत्र 01 से 05 एवं **हितग्राहीमूलक कार्यों** के लिए प्रपत्र 06 से 12 जनपद स्तर पर पूर्ण की जावेंगी।

पोर्टल में प्रविष्टि–प्रपत्रों के दो भागों में से पहले भाग की प्रविष्टि जनपद स्तर पर संबंधित विभाग एवं एन.आई.सी के सहयोग से निर्मित पोर्टल पर की जानी है। दूसरे भाग की प्रविष्टि भौतिक सत्यापनकर्ता द्वारा ग्राम भ्रमण के दौरान पूर्ण की जावेगी। तद्नुसार प्रपत्रों के भाग एक की **प्रव्रिष्टि (पोर्टल अनुरूप) दिनांक 03 से 07 दिसम्बर 2012 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।**

भौतिक सत्यापनकर्ता का प्रशिक्षण एवं पुस्तिका का प्रदाय–भौतिक सत्यापनकर्ता का प्रपत्र भरे जाने विषयक प्रशिक्षण तथा दोनो **पुस्तिकाओं का प्रदाय दिनांक 07 दिसम्बर 2012** तक अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

गृह सम्पर्क एवं निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन–भौतिक सत्यापनकर्ता दिनांक **08 से 15 दिसम्बर 2012 के मध्य ग्राम भ्रमण** के दौरान गृह सम्पर्क एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करते हुए **प्रपत्र भाग दो** में प्रविष्टि करेंगे।

विशेष ग्राम सभा आयोजन –भौतिक सत्यापनकर्ता द्वारा संकलित जानकारी के **प्रस्तुतिकरण एवं अभिमत** हेतु दिनांक **दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2012 के मध्य विशेष ग्रामसभा** का आयोजन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भौतिक सत्यापन के भाग 2 की पोर्टल में प्रविष्टि –भौतिक सत्यापनकर्ता तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा ग्राम सभा के अभिमत उपरांत जनपद स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि **दिनांक 21 से 25 दिसम्बर 2012** के मध्य सम्पन्न की जावे।

कार्यक्रम की मॉनीटरिंग–समयबद्ध चरणबद्ध कार्य के कुशल संचालन हेतु राज्य स्तर से विभागों के **संयुक्त आयुक्त, संभागीय उपायुक्त (विकास)** तथा **जिला स्तरीय नोडल अधिकारी** द्वारा नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जावे।

राज्य केन्द्र को सम्प्रेषण–जनपद स्तर पर प्रविष्ट की गई जानकारी जिले के माध्यम से **राज्य केन्द्र में dsa.nregs@gmail.com दिनांक 26 दिसम्बर 2012 को प्रेषित की जावे। उक्त जानकारी अवलोकनार्थ अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।** मार्गदर्शन के लिये संबंधित विभाग के राज्य कार्यालय में पदस्थ प्रमुख अधिकारी या संचालक सामाजिक अंकेक्षण डॉ. अभय पाण्डेय से दूरभाष **क्र. 0755–2559319** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भौतिक सत्यापनकर्ता को पारिश्रमिक का भुगतान–भौतिक सत्यापनकर्ता को उनके संतोषप्रद कार्य के लिये कलेक्टर द्वारा कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित दरों के अनुसार लगभग 7 से 10 कार्य दिवसों के लिये पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा। उक्त राशि की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं के प्रशासनिक मद से की जावेगी। जिला कलेक्टर विभिन्न योजनाओं एतद् मनरेगा पंचायत एवं सामाजिक न्याय, टी.एस.सी., बी. आर.जी.एफ. आदि से राशि पूल करते हुये संबंधित कार्यकर्ता को कार्य की पूर्णता के उपरांत किया जावे।

भौतिक सत्यापनकर्ताओं की सूची आपको पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी।

(अरूणा शर्मा) 30/11/12
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 1119 2 एनआर/6/सा.अं./2012/ भोपाल, दिनांक 30/11/2012

प्रतिलिपि

1. आयुक्त मनरेगा, भोपाल म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त पंचायत राज्य संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संचालक ग्रामीण रोजगार मध्यप्रदेश, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरआरडीए. भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आयुक्त पंचायत एवं सामाजि न्याय, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. राज्य समन्वयक आई.डब्ल्यू.एम.पी., भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. तकनीकी संचालक, एनआईसी, विंध्याचल भवन, भोपाल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. कार्यपालक निदेशक म.प्र. जन अभियान परिषद्, भोपाल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक सामाजिक अंकेक्षण, भोपाल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) विकास आयुक्त कार्यालय में पदस्थ संयुक्त आयुक्त तथा संभागों में पदस्थ उपायुक्त (विकास) के दायित्व निर्धारण हेतु प्रेषित।
11. संभागीय उपायुक्त (विकास)– समस्त संभाग।
12. संभागीय प्रबंधक (समस्त)........................... म.प्र. आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/11/12
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश